कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2019–20 दिनांकः–27/11/19

स्मरण पत्र

जिलाशिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय,
समस्त......

विषयः– राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों को भू रूपान्तरण नही होने के कारण सशर्त दी गई मान्यताओं के संबंध में।

प्रसंगः– प.9 (4) शिक्षा–5/भूमि रूपान्तरण/2016/पार्ट जयपुर दिनांक 19.09.19 एवं दिनांक 15.11.19 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि भू रूपान्तरण के अभाव में शासन के पत्रांक प.9 (4) शिक्षा–5/भवन परिवर्तन/2017/पार्ट–3 जयपुर दिनांक 24.04.19 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में आवेदन करने वाली गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सशर्त शिथिलन प्रदान करते हुए अस्थायी मान्यता दो शैक्षिक सत्र (2017–18 एवं 2018–19) हेतु तक प्रदान की गई थी, जिनकी अवधि शैक्षिक सत्र 2019–20 में समाप्त हो रही है।

अतः ऐसे विद्यालयों की सूचना जिनके आदेश भू रूपान्तरण में प्रदत्त छूट की शर्त पर वर्णित अवधि में जारी किये गये थे, समस्त प्रकरणों की सूचना के सम्बंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2019 के द्वारा वांछित सूचना 3 दिवस में चाही गई थी। परन्तु वांछित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त हैं।

अतः समस्त प्रकरणो की सूचना तत्काल प्रभाव से आगामी 03 दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

www.rajteachers.com

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर